रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082026-275343
CG-DL-E-10082026-275343

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4247] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948
No. 4247] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2026

सं. 111/ 2026- सीबीडीटी

का.आ. 4425(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(4)(ख) के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, सर गंगा राम ट्रस्ट सोसाइटी, दिल्ली (पैन: AABTS4366E) को 2025 के उक्त अधिनियम, की धारा 45(3)(क)(i) और आयकर नियम, 2026 के नियम 32 और 34 के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था की श्रेणी के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना दिल्ली स्थित सर गंगा राम ट्रस्ट सोसाइटी पर कर वर्ष 2026-2027 से 2030-2031 के लिए लागू होगी, बशर्ते कि यह:—

(i) आयकर नियम, 2026 के नियम 34 में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा;

(ii) प्रत्येक कर वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(4)(क) के तहत प्रपत्र संख्या 15 में विवरण तैयार करेगा और आयकर नियम, 2026 के नियम 31 के अनुसार, दान प्राप्त होने वाले कर वर्ष के तुरंत बाद आने वाली 31 मई को या उससे पहले आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवायेगा;

(iii) आयकर नियम, 2026 के नियम 31 के अनुसार, प्रपत्र संख्या 16 में दान की राशि विनिर्दिष्ट करते हुए दानकर्ता को प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

[फा. सं. 203/31/2025/आईटीए-II]

इंदु बाला, उप सचिव